संक्षिप्त प्रारूप

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद (छ.ग.) बरोंडा बाजार महासमुंद

क. / ..3.1.6.... / जिपलाकॉ / रू.अभि. / 2025

महासमुंद दिनांक 01/05/2025

रुचि की अभिव्यक्ति

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत कौशल प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु इच्छुक योग्य एवं पंजीकृत संस्थानों से "रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थाएँ दिनांक 2.2.05, 2025 समय दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

> अज़िला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमृद

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सिंसीयटी भहासमुंद ५ एक उहारे ILLSPEDIA.IN बरोंडा बाजार महासमुंद //रुचि की अभिव्यक्ति//

आवेदन की अंतिम तिथि 22.05.2025 समय द्वीप्रस्टर 03:00 बाजे त्व आवेदन पत्र खोलने की तिथि 22.05.2025 समय द्वारां ०५: बाजे त्व क./ 316 /जिपलाकॉ / रू.अभि. / 2025 महासमुंद दिनांक 01.05.2025

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद, बिरकोनी एवं सरायपाली में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना/प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनांतर्गत कौशल प्रशिक्षण संचालन के लिए इच्छुक योग्य एवं पंजीकृत संस्थानों से ट्रेनिंग पार्टनर के

चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :--

SN	Course	Course Code	SN	Course	Course ode
1	Assistant Electrician	CON/Q0602	18	CRM Domestic Voice	SSC/Q2210
2	Engineer-Technical Support(Level 1)	SSC/Q0101	19	Courier Delivery Executive	LSC/Q3023
3	General Duty Assistant	HSS/Q5101 v3	20	Office Assistant	MEP/Q0202
4	Jal Vitaran Sanchaalak (Water Distribution Operator) (Multi - Skill)	PSC/Q0122	21	Unarmed Security Guard	MEP/Q7101
5	Retail Sales Associate	RAS/Q0104	22	Filling and Packing Operator	PCS/Q0902
6	Solar & LED Technician	ELE/Q5903	23	Distribution Lineman	PSS/Q0102
7	Mushroom Grower	AGR/Q7803-4	24	Assistant Electricity Meter Reader, Billing and Cash Collector	PSS/Q3001
8	Yoga Instructor	BWS/Q2201	25	Digital Cataloguer	RAS/Q0302
9	CCTV Installation Technician	ELE/Q4605-4	26	Tour Escort	THC/Q4402
10	Mason General	CON/Q0103-4	27	Pulses Cultivator	AGR/Q0104
11	Home Health Aide	HSS/Q5102-4	28	Vermicompost producer	AGR/Q1203
12	Housekeeping Executive	THC/Q0208	29	Mason Tiling	CON/Q0104
13	Driving Assistant	ASC/Q9701	30	False Ceiling & Drywall Installer	CON/Q1107
14	Handloom Weaver (Carpets)	HCS/Q5412	31	Field Technician - AC	ELE/Q3102
15	Bamboo Basket Maker	HCS/Q8704	32	Field Engineer RACW	ELE/Q3105
16	Junior Software Developer	SSC/Q0508	33	Handset Repair Engineer	TEL/Q2201
17	Junior Technician- Solar EV charging station	SGJ/Q4001	34	Construction Painter and Decorator	CON/Q0503
			35	Drone Operator-Multi Rotor	AAS/Q6301

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अईताएँ

 संस्था संबंधित उक्त सेक्टर / व्यवसाय में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता वीटीपी के रूप में पंजीकृत हो अथवा

2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था / प्रतिष्ठान जो उक्त सेक्टर / व्यवसायों में शिक्षण / प्रशिक्षण / व्यवसाय करते हों तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 / कंपनीज एक्ट 1956 / ट्रस्ट रिजस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो अथवा

 उपरोक्त कोर्स विशेष से संबंधित व्यवसाय का ख्याति व्यवसायी हो तो प्रशिक्षण का अनुभव रखता हो एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना रखता हो

चयन का मापदंड

- 1. संस्था के पास राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं उपकरण व अनुभव (MMKVY/PMKVY अथवा अन्य कौशल विकास योजना) संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित कोर्स के लिए कुशल, अनुभवी, एवं योग्य प्रशिक्षक का ToT Certified होना अनिवार्य है।
- 2. प्रयोगशाला / क्लासरूम प्रशिक्षण के आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के अतिरिक्त On The Job प्रशिक्षण देने की क्षमता, सुविधा एवं संस्था द्वारा हितग्राहियों को Multi Skill करवाने का प्रबंध ।
- पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार / स्वरोजगार में नियोजन की सत्यापित जानकारी ।
- संस्था द्वारा आवेदकों के मोबलाइजेशन व काऊंसिलिंग की पर्याप्त क्षमता।
- 5. प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित हितग्राहियों का नियोजन करने हेत् नियोजक की जानकारी
- 6. संस्था को पूर्व में राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रू के स्टाम्प में शपथ पत्र प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा प्रति कोर्स 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) की दर से सुरक्षा निधि "डिमांड ड्राफ्ट" के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद के पक्ष में (ZILAPARIYOJNA LIVELIHOOD COLL MSMD TRN) के नाम पर हो जो एचडीएफसी बैंक शाखा-महासमुंद में देय हो, उक्त सुरक्षा निधि राशि डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जावेगी। केवल डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही सुरक्षा निधि राशि स्वीकार्य होगी।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

- 1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 10-30/2019/कौ.वि./42 दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा। संस्था के चयन उपरांत निर्धारित राज्य स्तरीय अनुबंध प्रारूप में लाइवलीहुड कॉलेज के साथ अनुबंध भी किया जाना होगा, जो तीन वर्षों के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
- 2. चयनित संस्था के अनुबंध निष्पादन पश्चात् प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व राज्य शासन द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन के परिपालन में 50000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का ''बैंक गारंटी'' जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद (ZILAPARIYOJNA LIVELIHOOD COLL MSMD TRN) के नाम पर एचडीएफसी बैंक महासमुंद के पक्ष में तैयार कर इस कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संचालन हेतु तय मानकों के तहत् एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाइवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आबंटित किया जावेगा। जो कि लाइवलीहुड कॉलेज के किसी भी शाखा में हो सकती है। आवश्यकता नहीं होने पर लाइवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नहीं होगी।

4. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसीयटी महासमुद्ध प्रविधन द्वीरा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा।

- 5. संस्था के पास संबंधित सेक्टर के कोर्स अनुसार राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप योग्यताधारी ToT Certified प्रशिक्षक (SSC) अन्य मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरण अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों / अन्य कर्मचारियों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- 6. जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद द्वारा उक्त सेक्टरों से संबंधित कुछ एक जॉब रोल में लैब सुसज्जित किया गया है, जिसे शासन से जारी शर्तों में चयनित संस्था की सहमति की दशा में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 7. चयनित संस्था को शासन के नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform, Pen, Copy, Bag, ID Card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी।
- 8. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रकिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा।
- 9. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया गया कि प्रशिक्षण गुणवत्तायुक्त व मानक अनुरूप नहीं है, तो अनुबंध तत्काल समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।
- 10. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन, काऊंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी., प्रमाणीकरण, नियोजन एवं नियोजन ट्रेकिंग की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित संस्था की होगी।
- 11. लाइवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण स्थल एवं आवासीय प्रशिक्षण (जिसका निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जावेगा) की स्थिति में प्रशिक्षण स्थल एवं प्रशिक्षणार्थियों के आवास की व्यवस्था की जावेगी। आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों की स्थिति में प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक का समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, साफ सफाई पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व चयनित संस्थाओं का संयुक्त रूप से होगा।
- 12. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टॉफ को लाइवलीहुड कॉलेज के Court of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

- 1. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र / अपात्र में श्रेणीगत कर सूचीबद्ध किया जायेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु चयन समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर के जॉब रोल में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी / प्रशिक्षकों की योग्यता व ToT Certified आदि मापदंडों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 2. पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने का अनुभव हेतु प्रपत्र—अ (1) में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
- 3. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या हेतु परिशिष्ट अ—(॥) में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
- 4. ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति हेतु परिशिष्ट—अ (III) में अंवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।

इच्छुक संस्थाएँ प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शत प्रतिशत किये गये कंपनी/संस्था/फर्मों/नियोक्ताओं की जानकारी Tie-up

पं. क्र. - 5047

परिशिष्ट—अ(IV) में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएँ Tie-up किये गये विभिन्न कंपनी / संस्था / नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी या 100/— रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर Tie-up संस्थाओं से नियोजन किये जाने वाले हितग्राहियों की संख्या देनी होगी। इसके बिना प्रस्तुत जानकारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

- 6. इच्छुक संस्थाएँ प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल हेत् प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन एवं ओ.जे.टी. के लिए Tie-up किये गये कंपनी / संस्था / फर्मों / नियोक्ता की जानकारी परिशिष्ट—अ (v) में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
- 7. इच्छुक संस्थाओं को गत तीन वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी।
- 8. इच्छुक संस्थाओं को आवेदन किये गये संबंधित सेक्टर के जॉब रोल में प्रशिक्षण संचालन हेतु संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देनी होगी, जो पॉवरपाईन्ट प्रेजेन्टेशन (अधिकतम 10 मिनट) के माध्यम से तैयार कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न की जानी होगी। जिसमें मोबलाइजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी. नियोजन एवं नियोजित हितग्राहियों की 06 माह तक ट्रेकिंग हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना को सम्मिलित किया जावे।
- 9. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन Score Metrix के आधार पर प्राप्तांकों से किया जावेगा।(संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट "स" में अवलोकनीय है।)

आवेदन की प्रक्रिया

- 1- इच्छुक संस्थायें जिले के अधिकृत वेबसाईट www.mahasamund.gov.in से ई.ओ.आई. प्रपत्र एवं अन्य जानकारी डाउनलोड कर भी जमा कर सकते हैं। इस स्थिति में संबंधित संस्थाएँ आवेदन शुल्क के रूप में राशि 500/- रूपये का "डिमांड ड्राफ्ट" जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद के पक्ष में (ZILAPARIYOJNA LIVELIHOOD COLL MSMD TRN) के नाम पर एचडीएफसी बैंक महासमुंद में देय हो, संलग्न कर जमा करेंगें। आवेदन शुल्क के अभाव में ई.ओ.आई. स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 2- इच्छुक संस्थाओं से मुहरबंद ई.ओ.आई. प्रस्ताव केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/सामान्य डाक / पंजीकृत कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन "कार्यालय, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी बरोंडाबाजार (शासकीय पॉलीटेक्निक भवन बरोंडाबाजार) महासमुंद पिन 493445" के पते पर भेजा जाना होगा। व्यक्तिगत रूप से ई.ओ.आई. प्रस्ताव जमा नहीं ली जावेगी। ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि**2**2.25-20 की समय 2.3: 00 बजे तक ही स्वीकार किए जावेंगे। डाक / कोरियर के विलम्ब से प्राप्त होने वाले ई.ओ.आई. को सिम्मिलित नहीं किया जावेगा। विलम्ब से प्राप्त ई.ओ.आई. के लिए जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद जिम्मेदार नहीं होगा।
 - 3- निर्धारित तिथि तक प्राप्त मुहरबंद ई.ओ.आई. को उसी दिन अर्थात् दिनांक 22.05.202 की e 4:00 करो बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा। ई.ओ.आई. खोलते समय इच्छुक संस्था प्रमुख अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं।
 - 4- सुरक्षा निधि राशि चयनित / सफल संस्थाओं को रोककर शेष को 15 दिवस के भीतर मूल स्वरूप में वापस लौटा दी जायेगी। इसके लिये ब्याज आदि देय नहीं होगी। सफल/चयनित संस्थाओं का चयनित सेक्टर के जॉब रोल के लिए जमा की गई सुरक्षा निधि राशि अनुबंध ्वैधता तिथि तक के लिए इस कार्यालय में जमा रहेगी। अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् जमा

सुरक्षा निधि राशि वापस की जावेगी। जिसके लिए कोई ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

- 5- संस्थाएँ प्रत्येक सेक्टर में जॉब रोल हेतु पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में सेक्टर एवं संबंधित जॉब रोल (कोर्स) का उल्लेख किया जाना होगा। साथ ही आवेदित संस्था का नाम व पूर्ण पता मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- 6- मुख्य मुहरबंद लिफाफा के अंदर परिशिष्ट—अ (सामान्य जानकारी), परिशिष्ट—अ (I) (पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण अनुभव), परिशिष्ट—अ (॥) (पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या), परिशिष्ट—अ (III) (पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन का विवरण), परिशिष्ट—अ (IV) (प्रस्तावित कोर्स के लिए प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन हेत् विभिन्न टाई-अप कंपनियों का विवरण), परिशिष्ट—अ (v) (मोबलाइजेशन एवं ओजेटी हेतु टाई—अप कंपनियों का विवरण), परिशिष्ट-ब (प्रशिक्षक व अन्य स्टाफ की जानकारी) आदि आवश्यक जानकारी संलग्न की जानी होगी।

शुल्क का भुगतान एवं शर्ते

- 01. प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप देय होगा एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर कार्यालय, राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित दर अथवा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन दौरान प्रदर्शित दर (दोनों में जो कम हो) अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जावेगा।
- 02. प्रशिक्षण राशि का विभाजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी के पत्र क्र/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर, दिनांक 28.01.2021 द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेत् दिशा निर्देश जारी की गई है, के निर्देशानुसार :-
 - (अ) लाइवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन उपलब्धता की स्थिति में ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा समस्त लैब सामग्री सेट—अप व्यवस्था करने पर उत्तीर्ण हितग्राही के प्रशिक्षण शुल्क लागत राशि का लाइवलीहुंड कॉलेज एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य क्रमशः 15:85 प्रतिशत राशि देय होगा, लैब लागत राशि 10.00लाख रू. से कम होने की स्थिति में एवं ज्यादा होने की स्थिति में कुमशः 10:90 प्रतिशत देय होगी।
 - (ब) लाइवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन एवं समस्त लैब सेट—अप सामग्री की व्यवस्था करने पर उत्तीर्ण हितग्राही के प्रशिक्षण शुल्क लागत राशि का लाइवलीहुड कॉलेज को 30 प्रतिशत एवं ट्रेनिंग पार्टनर को 70 प्रतिशत राशि देय होगा।
- 03. लाइवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के माध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा अनुपात यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले समस्त प्रशिक्षण बैचों में राशि का भूगतान नवीन नियम के अनुसार किया जावेगा।

04.प्रशिक्षण राशि का भुगतान राज्य कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन गाईडलाईन के आधार पर भूगतान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत् संचालित कौशल विकास र्द्भिशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वीरा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश यथावत् रहेंगे।

- 05.योजनांतर्गत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान, संबंधित प्रायोजक विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत ही नियमानुसार देय होगा।
- 06.मुल्यांकन शुल्क का भुगतान :- योजनांतर्गत Assesment& Certification Fee का भुगतान लाइवलीह्ड कॉलेज द्वारा किया जावेगा।
- 07.प्रशिक्षणार्थियों का मोबलाइजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी., प्रमाणीकरण, नियोजन एवं नियोजन ट्रेकिंग का जिम्मेदारी पूर्णतः ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
- 08.किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर महासमुंद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा निरस्त करने / लोकहित में ऊपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार सहायक परियोजना अधिकारी लाइवलीहुड कॉलेज के पास सुरक्षित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सेह निदेशक 🎾 जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद



परिशिष्ट-अ

जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज महासमुंद के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति"आवेदन पत्र

सेव	न्टर का नाम	
जॉ	ब रोल/कोर्स का नाम (कोर्स कोड स	हित)
1.	संस्था का नाम	:
	(पूर्ण पता, मोबाइल एवं ई-मेल सहित) :	
		:
2.	संस्था का वीटीपी क्रमांक/फर्म/सो	सायटी का पंजीयन क्रमांक
		:
	(यदि संस्था एक से अधिक स्थलों में वीटीपी के	:
	रूप में पंजीकृत है तो सभी की जानकारी, संस्था	:
•):
3.	550.96 (200 First) +0.10 First (200 First)	:- जिलासम्पूर्ण छ.ग. प्रदेश
4.	संस्था किन-किन कोर्सेस में	
	प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत है उल्लेख करें	i :
5.		:
	अन्य मानव संसाधन की जानकारी	<u> </u>
	संलग्न करें (परिशिष्ट 'ब' अनुसार)	
6.	कोर्स संचालन हेतु संस्था का पूर्व प्रा	शेक्षण अनुभव :
	की सूची संलग्न करें (परिशिष्ट 'अ'(1) अनु	सार)
7.	पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्य	л:
	(परिशिष्ट 'अ'(॥) अनुसार)	
8.	पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की	:
	नियोजन जानकारी (परिशिष्ट 'अ'(॥) अनुस	ार)
9.	संबंधित कोर्स में नये हितग्राहियों के	लिए :
	नियोजन जानकारी (परिशिष्ट 'अ'(IV) अनु	
10.	प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन	:
	प्रक्रिया का संक्षिप्त कार्ययोजना संलग	
11.	मोबलाइजेशन एवं ओजेटी हेतु	:
	टाई—अप कंपनियों का विवरण (परिशा	
12.		:
12	कराये जाने वाले अतिरिक्त सुविधाएँ	
olate.	3	;

मल्टी सर्टिफिकेशन आदि की जानक	ारी
13. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन	:
(विगत तीन वर्षों का)	:
14. संस्था का TAN/PAN/GSTNप्रमाणित	;
प्रति संलग्न करें	
15. सुरक्षा निधि की राशि डिमांड ड्राफ्ट	क्रमांकदिनांक
	बैंक का नाम
16. निर्धारित आवेदन शुल्क राशि 500/-	– का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा रहा हो तो
डी.डी नंबर	दिनांक
बैंक का नाम	शाखा का नाम
17. अन्य विवरण :	
	संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)
टिप:- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज र	, ,
	घोषणा पत्र
एतद् द्वारा संस्था यह घ	गोषणा करता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत
	तर के रूप में चयन कि स्थिति में समस्त निर्देशों का
पालन संस्था करेगी।	
स्थान :	
दिनांकः	
	संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
	(पदमुद्रा सहित)



परिशिष्ट –'अ' (1)

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव विवरण

क. सेक्टर का जॉब कार्यानुभव योजना/विभाग कार्यक्षेत्र (ग्राम/शहर, विभाक (अनुभव में दर्शित अविधि नाम चेति (वर्ष में) का नाम जिला, प्रांत), स्पष्ट उल्लेख करें अधिकृत कार्यादेश/अनुशंघ की प्रित संलग्न करें) 1 2 3 4 5 6 7			C.				3
नाम रोल (वर्ष में) का नाम ब्लॉक,जिला,प्रांत)स्पष्ट लिए संबंधित योजना/विभाग र उल्लेख करें अधिकृत कार्यादेश/अनुबंध की प्रति संलग्न करें)	豖.	सेक्टर का	जॉब	कार्यानुभव	योजना / विभाग		रिमार्क (अनुभव में दर्शित अवधि के
उल्लेख करें अधिकृत कार्यादेश / अनुबंघ की प्रति संलग्न करें)		नाम	रोल	(वर्ष में)	का नाम	ब्लॉक,जिला,प्रांत)स्पष्ट	लिए संबंधित योजना/विभाग से
प्रति संलग्न करें)						उल्लेख करें	अधिकृत कार्यादेश / अनुबंध की
							प्रति संलग्न करें)
	1	2	3	4	5	6	
					-		
			E				

स्थान	:
दिनांव	ā :-



पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	योजना	वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	रिमार्क (संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान	;
दिनांव	7 :



Downloaded from www.skillspenja.in

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन (रोजगार एवं स्वरोजगार) की जानकारी

			त ।हरात्र योजना	वर्ष	प्रशिक्षित		नियोजन		रिमार्क (नियोजन की
丣.	सेक्टर का	जॉब रोल	याजना	44	हितग्राही संख्या	रोजगार	स्वरोजगार	योग	पोर्टल प्रति संलग्न करें)
1	नाम 2	3	4	5	6	7	8	9	10
-									
					-				

स्थान	:
दिनांव	5 ;



परिशिष्ट –'अ' (١٧)

प्रस्तावित कोर्स के नियोजन हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर	जॉब	प्रस्तावित			नियोजन		रिमार्क (संबंधित
	का नाम	रोल	हितग्राहियों की संख्या	Industr		ge / रोजगार हेतु Company	Tie-up	कंपनी से अनुबंध / स्टाम्प
				आवश्यक रिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी / नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोबाईल नंबर व ई—मेल आई डी	पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान :
दिनांक :



परिशिष्ट -'अ' (v) मोबलाइजेशन एवं ओजेटी हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

豖.	सेक्टर का	जॉब रोल	प्रस्तावित हितग्राहियों	ओजेटी / मो कंपनी		रिमार्क (संबंधित कंपनी से	
	नाम		की संख्या	कंपनी/नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोबलाइजेशन संख्या (प्रतिमाह)	ओजेटी में मेजे जाने वाली हितग्राहियों की संख्या	अनुबंध / स्टाम्प पेपर पर उक्ताशय दस्तावेज संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7	8
-							

स्थान :	
दिनांक	



परिशिष्ट —'ब'

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र .	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता	जॉब रोल	कार्यानुभव	ToT उत्तीर्ण तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
		•				

संबंधित कोर्स संचालन हेतु अन्य स्टाफ की जानकारी

क्र.	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मोबलाइजर / काउंसलर				
2	macing stry and their				
3	प्लेसमेंट कोआर्डिनेटर				
4	erric quomo ict				
5	कार्यालय सहायक				
6	प्रापालय संवायक				
7	अन्य स्टाफ				
8	जन्य स्टाफ				

स्थान	:
दिनांव	5 ;



ट्रेनिंग पार्टनर (प्रशिक्षण भागीदार) के चयन हेतु Score Metrix

파	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र
1	पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	1<2 वर्ष - 6 2-4 वर्ष - 8 > 4 वर्ष - 10	10	अनुभव में दर्शित अवधि के लिए संबंधित योजना / विभाग / संस्था से अधिकृत कार्यादेश / अनुबंध की प्रति संलग्न करेंगे
2	पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	001-200 - 6 201-400 - 8 > 400 - 10	10	संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल/सत्यापित प्रति संलग्न करें
3	रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति	20-50 -5 51-100 -10 101-200 -15 > 200 -20	20	नियोजन की पोर्टल/सत्यापित प्रति संलग्न करें
4	Industrial Linkage / रोजगार कंपनी से Tie-up	05-15 - 10 16-30 - 20 > 30 - 30	30	संबंधित कंपनी से अनुबंध/स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें
5	Moblization&OJT (On Job Training)	Tie-up With Company	10	संबंधित कंपनी से अनुवंध / स्टाम्प पेपर पर उक्ताशय का दस्तावेज संलग्न करें
6	संस्था का Turn Over	3-30 Lacs -3 31-50 Lacs-6 51-100 Lacs-8 >100 Lacs-10	10	Attach CA Certified Financial Statement Or Audit Report Or ITR of Last Three Consecutive Years
7	प्रशिक्षण की कार्ययोजना	Presentation	10	PPT Presentation Maximum 10 Minutes

